

62

18

राजस्व पर्षद, बिहार ।

संख्या-3/संस्था 0-13/2005-193(3)

प्रेषक,

श्री नर्मदिवर लाल,  
सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी पुमण्डलीय आयुक्त, बिहार ।  
सभी सभाहर्त्ता, बिहार ।



पटना, दिनांक : 04-3-2006

विषय :- अनुसचिवीय पदाधिकारियों के अन्तर जिला/पुमण्डलीय स्थानान्तरण के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसचिवीय पदाधिकारियों की अन्तर जिला/अन्तर पुमण्डल स्थानान्तरण से संबंधित अनुशांसा आमसे प्राप्त होते रहते हैं ।

उल्लेख नियम है कि बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 181 के तहत केवल विशेष परिस्थिति में ही अन्तर जिला/पुमण्डल स्थानान्तरण का प्रावधान है । सम्यक विचारोंपरान्त राजस्व पर्षद, बिहार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल समान आरक्षण कोटि के तहत पारस्परिक स्थानान्तरण पर ही विचार किया जाय ताकि आरक्षण संबंधी समस्या जिलों में उत्पन्न न हो ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देश के आलोक में ही स्थानान्तरण से संबंधित अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की जाए ।

विश्वास भाजन  
सचिव 02/03/06

ज्ञापक-3/संस्था 0-13/2005-193(3) पटना, दिनांक : 04-3-2006

प्रतिलिपि सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 02/03/06

02/3/06

राजस्व

2/06

11/3/06

13/3/06

02/03/06